न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/23/2012 वाद   दायर दिनांक 01.02.2012

उनवान

1. माधु पिता तुलछा जाति चमार आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. सोहनी बाई पत्नि सुरेश जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्किया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. लीला देवी पत्नि भंवर लाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भगवान पिता नन्दा जाति चमार आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शंकर पिता तुलछा जाति चमार आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भगवान पिता तुलछा जाति चमार आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा —वादी
अधिवक्ता श्री कृष्णचन्द तुल्छिया — प्रतिवादी संख्या 1, 2
शेष एकतरफा —प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 17.08.2022

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वादी एव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजियात मौजा हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल खाता सं0 316 के आराजी नं0 942 रकबा 0.71 है0, आ0नं0 943 रकबा 0.59 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 आराजीयात स्थित है एवं खाता सं0 246 के आराजी सं0 934 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 है0 आराजियात स्थित है।

यह कि वादगत आराजीयात वादी एव प्रतिवादी सं एक लगाकर पांच तक के संयुक्त खातेदारी की आराजियात है लेकिन मौके पर हिस्से अनुसार बंटवाड़ा [illegible] है तथा वादी एव प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन [illegible] आराजियात वादी एव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की होने से लगान [illegible] अन्य सरकारी कार्या[illegible]ए कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण [illegible] वादगत आराजियात [illegible]दी का 1/4,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:50 IST
Reason: SelfAttested

1/4 दोनो खाते में हिस्से के अनुसार बटवाडा कराया जाकर के अलग से खाता कायम किया जाना आवश्यक है इसलिए पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बटवाडा आराजीयात की डिक्री जारी फरमाई जावें।

यह कि प्रतिवादीगण दिनांक 30.10.2011 को आराजियात का बटवाडा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगणो ने साफ मना कर दिया इस कारण से वाद हेतु दिनाक 30.10.2011 को जारी होकर निरन्तर जारी है।

अन्तः में प्रार्थना की कि पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजियात की डिक्री जारी फरमाई जावें एवं वादी का 1/4, 1/4 हिस्से का खाता अलग से कायम अलग से लगान बंदी कायम कराई जावें। अन्य कोई मुफिद दाद जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया।
उक्त प्रकरण में प्रतिवादीया नं. 2 मु0 लीला देवी पत्नि भंवर लाल सालवी की ओर से वादी के वाद पत्र का जवाब दावा निम्न प्रकार किया गया कि

1. यह कि वाद पत्र की कालम सं0 एक स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र की कालम सं0 2 का जवाब हैं कि विवादित आराजियात का नियमानुसार व पक्षकारान के मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कराया जाकर प्रतिवादीया सं. 2 मु0 लीला देवी की जमाबंदी में दर्ज करा अलग मुझ प्रतिवादीया सं0 2 लीला देवी के नाम पर दर्ज कराया जावें ।
3. यह कि वाद पत्र की कालम सं0 3, 4, 5, 6, 7 व 8 स्वीकार हैं तथा जवाब के समर्थन में प्रतिवादीया सं0 2 का जवाब दावा पेश हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर बाद प्रतिवादीया सं. 2 मु0 लीला देवी का जमाबंदी में दर्ज किया जावें और बंटवाडे में अलग जमाबंदी में दर्ज फरमाया जावें तथा जहां प्रतिवादीया सं0 2 लीला देवी का वर्तमान में काबिज है। वहां पर ही बंटवाडे में हिस्सा दिलाया जाने की कृपा करावें।

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 14.03.2012 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। पत्रावली में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 के तहत केम्प हिंगोरिया में दिनांक 11.07.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अतः आज दिनांक 17.08.2022 को वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता 1, 2 द्वारा उपस्थित होकर बहस अन्तिम प्रस्तुत की। प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित आराजी नं0 942 रकबा 0.71 है0, आ0नं0 943 रकबा 0.59 है0, आराजी सं0 934 रकबा 0.43 है0 में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 04.08.2016 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है।

1. माधु पिता तुलछा जाति चमार सा0 देह खातेदार

क.स.	**आ0स0**	**रकबा**	**किस्म**
1	942/1	0.1775	बारानी 2
योग	**कुल किता– 1**	**0.1775**	

2. भंवरलाल पिता मोहनलाल नायक , रामलाल पिता भैरूलाल सालवी, भुरी बेवा तुलछा चमार, लीला पत्नि भंवरलाल सालवी सा0 देह ई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:50 IST
Reason: SelfAttested

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	942	0.2825	बारानी 2
2	942/2	0.25	बारानी 2
योग	कुल किता– 2	0.5325	

3. माधु पिता तुलछा जाति चमार सा0 देह खातेदार,

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	943/1	0.1475	बारानी 2
योग	कुल किता– 1	0.1475	

4. रामलाल पिता भैरूलाल जाति सालवी, भुरी बेवा तुलछा जाति चमार, लीला पत्नि भंवरलाल सालवी सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	943/2	0.1225	बारानी 2
2	943 मी.	0.3200	बारानी 2
योग	कुल किता– 2	0.4425	

5. माधु पिता तुलछा जाति चमार सा0 देह पारी,

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	934/1	0.1075	बारानी 2
योग	कुल किता– 1	0.1075	

6. सोहनी पत्नि सुरेश जाति खटीक सा0 तुरकिया कलां

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	934 मी.	0.3225	बारानी 2
योग	कुल किता– 1	0.3225	

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:50 IST
Reason: SelfAttested